आदरणीय महोदय,

विषयः–केस आई.डी. संख्या–S00028082023 पर पारित माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति दिनांकित 12.04.2023के अनुपालन में विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक प्रार्थी के प्रत्यावेदन दिनांकित 10.02.2023 के अनुक्रम में विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि–

1. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं० –25/एडमिन (ए) दिनांकित 13.07.1998 के अनुपालन में अचल संपत्ति क्रय किये जाने की अनुमति माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 12.04.2023 को प्राप्त हो चुकी है , जिसके अनुपालन में प्रार्थी द्वारा विक्रेती से दिनांक 18.04.2023 को पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया है।

2. इकरारनामा निष्पादित किये जाने के पश्चात विक्रय मूल्य की अवशेष धनराशि मु० 4,95,000/–रू० प्रार्थी द्वारा अपने वेतन खाता/बचत खाता सं०–32487795482 स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा–ट्रान्स यमुना कालोनी आगरा (IFSC Code–11638) से दिनांक 18.04.2023 को पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किये जाते समय दिनांक 18.04.2023 को आर.टी.जी.एस यू०टी०आर० सं०–SBINR52023041844181374 के द्वारा विक्रेती श्रीमती कमलेश पत्नी श्री अमर सिंह के खाते में अन्तरित की गयी। (बचत/वेतन खाते की प्रति संलग्न है)

3. विक्रय पत्र की स्टाम्प शुल्क एवं अन्य धनराशि इकरारनामा निष्पादित किये जाते समय ही अदा की जा चुकी थी जिसका पूर्ण विवरण प्रार्थी के मूल प्रत्यावेदन मे मौजूद है।

4. विक्रय पत्र निष्पादित होने के पश्चात नामांतरण आदेश भी सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। (प्रति संलग्न।)

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति दिनांकित 12.04.2023 के क्रम में सूचित होने की कृपा करें।

ससम्मान।

भवदीय,

दिनांक 23.02.2024

23/02/2024

(अनिल कुमार–XI)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संत कबीर नगर।
J.O.Code–UP1819

संलग्नकः–

1. विक्रय पत्र दिनांकित 18.04.2023 की स्कैन कापी।

2. अवशेष धनराशि अन्तरित किये जाने संबंधी वेतन/बचत खाता की स्कैन कापी।

3. नामान्तरण आदेश की स्कैन कापी।